Demand Note

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक–219/14–1(FP/UP/Trans/156518/2022)दिनांक, मुजफ्फरनगर 27.07.2023 ।

सेवा में,

उप परियोजना प्रबन्धक(विद्युत)
डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0
मेरठ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट "तलहेडी टी0एस0 एस0–जडौदा नरा "पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/04/41/ 2023/ एफ0सी0/197 दिनांक 23.06.2023 ।

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 23.06.2023 जो अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ आपको पृष्ठांकित भी है के द्वारा विषयक प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–23.06.2023 में उल्लिखित शर्त संख्या–3 ,शर्त संख्या–5,व शर्त संख्या–10 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण ,वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं बोने औषधीय पौधों एवं उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण हेतु की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है–

1–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि–					
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है0में)	दर	धनराशि (रू0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6
शर्त संख्या–3	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग की मोरना रेंज के अन्तर्गत भौकरहेडी में 0.35हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि	–	453950.00	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
2– संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/ 2011– एफ0सी0 (VOI-1) दिनांक–06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)					
शर्त संख्या–5	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.1701है0	957780.00 प्रति है0	162919.00	
शर्त सं0–10	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	पारेषण लाईन के नीचे 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि पर 171 औषधीय पौधों के रोपण एवं उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण की धनराशि		158410.00	
		महायोग		775279.00	

अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–23.06.2023 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या–3, 5 व 10 के अनुपालन धनराशि रूपये–775279.00 (रूपये सात लाख पिच्छहत्तर हजार दौ सो उन्यासी मात्र), प्रयोक्ता एजेंसी के ई–पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें साथ ही प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के रेकमेंडेशन सर्टिफिकेट में वन एवं वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन एवं वेटलैण्ड के विकास हेतु के विषयों के सफल प्रबन्धन हेतु आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी वचनबद्धता के आधार पर रूपये–2000000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के नाम से देय हो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या–1 से 28 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/वचनबद्धताऐं इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या 219 /14–1 (FP/UP/Trans/156518/2022) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर ।
3– क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

373G:\My Drive\I.SHARE FOLDER 2021\important soft\EDS 2022-23\EDS 2022-23 .docx

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrollko@gmail.com

पत्र सं0: 8बी/यू0पी0/04/41/2023/एफ.सी./197 दिनॉक: 23.06.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Trans/156518/2022

विषयः जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवरग्रिड कार्पो0 ऑफ इंडिया लि0, रूड़की (उत्तराखण्ड) द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कोरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट 'तलहेडी टी.एस.एस. जड़ोदा नरा' पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल आधिकारी, उत्तर प्रदेष का पत्रांक 3573/11–सी–FP/UP/Trans/156518/2022, दिनांक 11.05.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेष शासन के पत्रांक 520/81–2–2023–800(09)/2023, दिनांक 01.03.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देष हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवरग्रिड कार्पो0 ऑफ इंडिया लि0, रूड़की (उत्तराखण्ड) द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कोरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट 'तलहेडी टी.एस.एस. जड़ोदा नरा' पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over and area of 0.3579 ha degraded forest land in Compartment/Survey No. nil, Bhokerheri Forest Block, Range Morna, Social Forestry Division, District Muzaffarnagar at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. **Approval of SBWL/NBWL, if required, shall be undertaken before start of the work, as the proposed CA falls in Sanctuary area.**
5. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1701 ha forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009.

   Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

7. User agency shall restrict the felling to 24 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

10. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.

11. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

12. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.

13. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

14. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

15. No labour camp shall be established on the forest land.

16. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

17. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

18. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

19. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

20. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

21. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

22. **NOCs from Irrigation department & PWD need to be submitted.**

23. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

24. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

25. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

26. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

28. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि : (ई–मेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. प्रभागीय निदेषक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
5. उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत), डेडिकेटेड फ्रन्ट कॉरीडोर कार्पो० लि०, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

23.06.2023

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

संलग्नक संख्या–

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Trans/156518/2022

" प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना–

1–	हरियाली घनत्व–	0.3
2–	इको क्लास श्रेणी– III (Tropical Dry Deciduous Forest)	
3–	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	रूपये– 957780.00
4–	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.1701 है0
5–	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये–	162919.00

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

01

संलग्नक संख्या–

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Trans/156518/2022

LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO CONCERNED

This is certify that 0.3500 ha land bearing survey in Bhokerheri Forest Block in Morna Range, Social Forestry Division Muzaffarnagar is identified for Compensatory Afforesation is suitable for plantation from management point of view and is free all sorts of encumbrances and in encroachment.

Place :- Muzaffarnagar

Date:- .....

Divisional Director
Social Forestry Division
Muzaffarnagar

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मोरना रेंज (शुक्रताल)

जनपद गुजफ्फरनगर में मॉपर प्रिंज कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, कलकत्ता, उत्तराखण्ड द्वारा रजिस्टर्ड प्राईवेट फॉरेस्टर, कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ फॉरेस्टर, ऐटा 132 के0वी0 ग्रामल ग्रिड " रालकेडी डी0एस0ए0 जसौला तरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में वाटका 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण एवं उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण की परियोजना ।

On Line Proposal No- FP/UP/Approach/156518/2022

औषधीय पौधों के रोपण का प्राक्कलन

प्रभाग का नाम– सामाजिक वानिकी प्रभाग, गुजफ्फरनगर

रेंज का नाम– [illegible] रेंज

रोपित पौधों की संख्या:– 171

क्षेत्रफल संकल्प– 0.1701 है0

श्रमिक मजदूरी दर:– 201 /प्रति मानव दिवस

क्षेत्रफल शुद्ध– 0.1701 है0

क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्डो का खुदान	171	प्रति गड्डा	8.15	1393.65
2	गढडो मे गोबर खाद मिलाकर भरना	171	प्रति गड्डा	0.85	145.35
3	पौधो का ढुलान सहित कैरी बैग बाजार दर	171	प्रति पौध	80.00	13680.00
4	पौधो का स्थानीय ढुलान	171	प्रति पौध	4.02	687.42
5	पौधारोपण सिंचाई व थावला बनवाई	171	प्रति पौध	5.00	855.00
6	पौधो की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि 9 बार (9X171)	1539	प्रति पौध	2.30	3539.70
7	पौधों की निराई गुडाई 5 बार (5X171)	855	प्रति पौध	1.40	1197.00
8	अन्य व्यय सुरक्षा सहित	0	0	LS	9591.88
	योग				31090.00

पौधारोपण अनुरक्षण का प्रथम वर्ष

क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 12 बार (12X171)	2052	प्रति पौध	2.30	4719.60
2	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 5 बार	855	प्रति पौध	2.30	1966.50
3	पौधो की निराई गुडाई – 2 बार	342	प्रति पौध	1.40	478.80
4	पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित – 10 प्रतिशत अनुमानित	18	प्रति पौध	231.30	4163.40
5	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	15117.70
	योग				26446.00

पौधारोपण अनुरक्षण का द्वितीय वर्ष

क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
2	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
3	पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित – 10 प्रतिशत अनुमानित	18	प्रति पौध	231.30	4163.40
4	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	15822.00
	योग				24705.00

पौधारोपण अनुरक्षण का तृतीय वर्ष

क0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
2	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
3	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का चतुर्थ वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधो की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधो की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का पंचम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधो की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधो की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का षष्ठम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधो की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधो की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का सप्तम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का अष्ठम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का नवम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधों की सिचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य अक्समिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

पौधारोपण अनुरक्षण का वरण वर्ष

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
	2	3	4	5	6
1	पौधो की सिंचाई अप्रैल से जून – 10 बार	1710	प्रति पौध	2.30	3933.00
1	पौधो की सिंचाई अक्टूबर से मार्च – 2 बार	342	प्रति पौध	2.30	786.60
2	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0	LS	3000.40
3	योग				7720.00

सारांश

क्र०सं०	वरण	वर्षवार धनराशि	मंहगाई, गुणा रफीति – 10 प्रतिशत अनुमानित		कुल धनराशि
	2	3	4		6
1	अग्रिम मृदा एवं पौधारोपण	31090.00	3109.00		34199.00
1	प्रथम वर्ष	26446.00	2644.60		29090.60
2	द्वितीय वर्ष	24705.00	2470.50		27175.50
3	तृतीय वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
4	चतुर्थ वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
5	पंचम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
6	षष्ठम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
7	सप्तम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
8	अष्ठम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
9	नवम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
10	दसम् वर्ष	7720.00	772.00		8492.00
11	योग	144001.00	14400.10		158401.10
	या				158410.00

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

3G:\My Drive\2.OFFICE PC DOWNLOADS\Medicinal Plant1 Estimate (1)

संलग्नक संख्या–

जनपद मुजपफरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा ईस्ट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के सापेक्ष 0.35 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित।

On Line Proposnl No- FP/UP/Trans/156518/2022

रेंज का नाम– मोरना
क्षेत्रफल –0.35 है0
स्थल का नाम–भौकरहेडी
स्थल की जी0पी0एस0–(1)–29 31 57-01685. 77 57 2.89364
(2)–29 31 59.90394 77 57 4.86641
(3)–29 31 59.828 77 57 5.88435
(4)–29 31 56.2356 77 57 3.86491
(5)–29 31 57.01685 77 57 2.89364

क्षेत्र का प्रकार– वन ब्लाक
रोपित की जाने वाली पौध सं0–345
मजदूरी–201 प्रति दिन

प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा /	दर	धनराशि	अ0दर
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वे व सीमांकन	प्रति हे0	0.350	96.00	33.60	1.2
2	अत्याधिक घनी झाडियों का कटान	प्रति हे0	0.350	3975.00	1391.25	2.4.3
3	मृदा कार्य हेतु गड्ढों का संरेखण	प्रति गड्ढा	345	0.40	138.00	3.2
4	गड्ढो का खुदान कार्य(0.60×0.60×0.60) मी0	प्रति गड्ढा	345	19.70	6796.50	4.11.1
5	पौध उगान एवं रखरखाव	प्रति	345	8.69	2998.05	मॉडल के
6	सुरक्षा खाई का खुदान(0.60×0.60×0.60) मी0	प्रति मी0	345	67.00	23115.00	4.2.1
7	सिचाई हेतु बोरिंग	प्रति	1	36000.00	36000.00	बाजार दर
8	वृक्षारोपण बोर्ड बनाना	प्रति	1	5000.00	5000.00	बाजार दर
9	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण एवं प्रशासनिक व्यय	ल0सं0			12002.60	
			योग–		87475.00	

द्वितीय वर्ष – वृक्षारोपण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति	345	1.25	431.25	5.1.2
2	पौधो हेतु गोवर खाद आदि	प्रति	345	2.00	690.00	5.2.2
3	पौधो का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	प्रति	356	80.00	28480.00	5.1.3
4	पौधो का ढुलान (03 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) दूरी 21 से 30 कि0मी0	प्रति	356	22.10	7867.60	9.4
5	पौधो का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	345	5.94	2049.30	अनुसार
6	पौध रोपण कार्य मय तुरन्त सिचाई व थावला	प्रति पौध	345	9.00	3105.00	10.1.3
7	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति पौध	1035	1.40	1449.00	11.1.1
8	थावला बनाना तथा मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	690	0.90	621.00	12
9	सिचाई कार्य 09 बार	प्रति पौध	3096	3.30	10216.80	14.1.3
10	सुरक्षा खाई पर बीज बुआन (ड्रेसिंग कार्य 02 लाईनों में बीज बुआन सहित)	प्रति100 मी0	0.70	761.00	532.70	6.1.3
11	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण एवं प्रशासनिक व्यय	ल0सं0			12007.35	
				योग–	67450.00	

प्रथम अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	10 प्रतिशत गड्ढो की मिट्टी खोदी भरना	प्रति	36	3.70	133.20	18.1
2	पौधा बुलान 03 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति	38	22.10	839.80	9.4
3	पौधो का स्थानीय बुलान	प्रति	38	5.94	225.72	मानक के अनुसार
4	पौधारोपण	प्रति	38	9.00	342.00	10.1.3
5	पौधो की सिचाई कार्य कराना 12 बार	प्रति	4140	3.30	13662.00	14.1.3
6	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
7	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	10.00	4080.00	4.3.1
8	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02बार	प्रति हे0	0.70	3290	2303.00	16
9	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	ल0सं0			7000.28	
	योग–				30035.00	

द्वितीय अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय / औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

तृतीय अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

चतुर्थ अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

पंचम अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

षष्ठम अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

सप्तम अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

अष्ठम अनुरक्षण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
1	सिचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

नवम अनुरक्षण कार्य

	2	3	4	5	6	7
1	सिंचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

दशम अनुरक्षण कार्य

	2	3	4	5	6	7
1	सिंचाई 10 बार	प्रति	3450	3.30	11385.00	14.1.3
2	निराई गुडाई आदि कार्य 03 बार	प्रति	1035	1.40	1449.00	11.1.1
3	सुरक्षा खाई की मरम्मत कार्य कराना	प्रति मी0	408	12.65	5161.20	4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु झाडियों व घास की कटाई वर्ष में 02 बार	प्रति हे0	0.7	3290	2303.00	16
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजार क्रय /औजार मरम्मत /अभिलेखीयकरण 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	प्रति हे0			5001.80	
					25300.00	

क्षतिपूरक वनीकरण योजना का सारांश

क्र0सं	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2	3
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य	87475.00
2	वृक्षारोपण कार्य	67450.00
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	30035.00
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	25300.00
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	25300.00
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	25300.00
7	पंचम अनुरक्षण	25300.00
8	षष्ठम अनुरक्षण	25300.00
9	सप्तम अनुरक्षण	25300.00
10	अष्टम अनुरक्षण	25300.00
11	नवम अनुरक्षण	25300.00
12	दसम अनुरक्षण	25300.00
	योग–	412660.00
	श्रमाश/मजदूरी में वृद्धि होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त	41266.00
	महायोग–	453926.00
	या	453950.00

(सिंहराज सिंह पुण्डीर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
योजना वैली मुजफ्फरनगर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या–

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Trans/156518/2022

Recommendation Certificate

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रूडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटिट फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डबल सर्किट " तलहेडी टी0एस0एस0–जडौदा नरा " पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं परियोजाना में बाधक 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की वन प्रबन्धन एवं वन्य जीव संबंधी विषयों के सफल प्रबन्धन हेतु संस्तुतियां निम्न प्रकार है–

1– वन एवं वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन एवं प्राकृतवास तथा वेटलेण्डस के विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि रूपये–20,00,000.00(रूपये बीस लाख मात्र) का देय ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के नाम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन सम्पदा, वन्य जीव एवं आस–पास के वन क्षेत्र, पौधों व वृक्षों इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन सम्पदा सरकार की अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी प्रकार वन गैर वानिकी कार्य (निर्माण कार्य) प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,मेरठ द्वारा उपरोक्त शर्ते पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध है।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

88